वीराराम बनाम ग्राम पंचायत मांगता
2023 / 21
निर्णय दिनांकः–09.09.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–01 / 2023

दर्ज तिथिः–11.01.2023

1. वीराराम पुत्र देवाराम
   जाति जाट निवासी धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर
2. रामचन्द्र पुत्र निम्बाराम
   जाति जाट निवासी नेतराड़, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
3. चुकी देवी पत्नी कानाराम
   जाति जाट निवासी धारासर, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

................अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मांगता तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
2. सोडी पत्नी दोसू
   जाति मुसलमान निवासी मांगता, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

..................असल प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीगणः–श्री रिड़मलराम चौधरी
प्रत्यर्थीः–श्री रामनिवास विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राज.भू–राजस्वअधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.09.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलमीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतःविवरण इस प्रकार से हैः–
   - कि अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 03.08.2016 को ग्राम मांगता पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 41 रकबा 0.05 बीघा गैर मुमकिन तथा खसरा [illegible] रकबा [illegible] बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 160–10 बीघा ज[illegible] [illegible]स्टर्ड बेचाण पत्र संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाडमेर

201603110100892 दिनांक 03.08.2016 को भूमि क्रय की । उक्त भूमि जुम्मा वलद सुमार को उचित प्रतिफल देकर क्रय की तथा क्रय दिनांक से अपीलान्टगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

- कि हल्का पटवारी मांगता ने अपीलान्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में दिनांक 03.08.2016 के विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 987 दिनांक 26.12.2022 को भरा जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 26.12. 2022 को जांच कर अंकन सही पाया गया । उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत मांगता के समक्ष तस्दीक हेतु प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत ने अपने आदेश दिनांक 05.01.2023 को अपीलान्टगण का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने का उल्लेख कर नामान्तरकरण निरस्त कर दिया जो काबिल खारीज है।
- कि ग्राम पंचायत मांगता ने अपने आदेश दिनांक 05.01.2023 में खरीददार का कब्जा काश्त नहीं होने एवं बैचान त्रुटिपूर्ण होना बताया गया जबकि ग्राम पंचायत को रजिस्टर्ड बैचान को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।
- कि बैचानकर्ता जुम्मा पुत्र सुमार ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि का बैचान उचित प्रतिफल प्राप्त कर अपीलान्टगण के पक्ष में किया है ऐसी स्थिति में जब तक बैचाणकर्ता के द्वारा विक्रय पत्र को निरस्त नहीं करवाया जाता है नामान्तरकरण को खारीज करने का ग्राम पंचायत मांगता को अधिकार नहीं है।
- कि अपीलान्टगण ने हल्का पटवारी से नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त की तो अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण खारीज की जानकारी हुई जिस पर उक्त म्युटेशन की नकले जो दिनांक 10.01.2023 को प्राप्त र अपील प्रस्तुत की जो अन्दर म्याद प्रस्तुत है।
- कि बैचाण की दिनांक से अपीलान्ट संख्या 1 से 3 का हित हक विधिक रूप से उक्त आराजी मे निहित हो गया । उक्त म्युटेशन खारीज करने से पूर्व उतरदाता ने अपीलान्टगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया।
- कि ग्राम पंचायत मांगता पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 41 रकबा 0.05 बीघा व खसरा संख्या 42 रकबा 1601–05 बीघा कुल रकबा 160–10 बीघा भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने तथा ग्राम पंचायत मांगता के आदेश दिनांक 05.01.2023 को निरस्त करने का आदेश जारी कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उतरदाता विधिवत तामील उतरदाता संख्या 2 उपस्थित न्यायालय होकर अपील का खंडन करते हुए निम्न प्रकार निवेदन कियाः–
   - कि वादग्रस्त आराजी उतरदाता संख्या 2 की पैतृक व पुस्तैनी आराजी हैं । सम्पूर्ण भूमि पर उतरदाता संख्या 2 का कब्जा काश्त हैं । बैचान दस्तावेज दिनांक 03.08.2016 को माननीय न्यायालय से शून्य घोषित करने हेतु वाद दायर किया हुआ है। अपीलान्टगण का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना, बाड़मेर

- कि ग्राम पंचायत मांगता द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में उक्त नामान्तरकरण को प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत मांगता द्वारा एक कमेटी का गठन किया तथा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 05.01.2023 को नामान्तरकरण की पुश्त पर खरीददार का कब्जा नहीं होने के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 987 दिनांक 05.01.2023 को खारीज कर दिया गया है।
- कि उक्त नामान्तरकण के संबंध में अपीलान्टगण द्वारा एक निगरानी एलआर/576/2023/बाड़मेर चुकी देवी बनाम सरकार दिनांक 23.01.2023 को माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर में दायर किये जाने पर माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.04.2023 के तहत उक्त निगरानी को खारीज कर दिया गया है। जिसके संबंध में हस्तगत निगरानी की अपील उच्च न्यायालय में की जानी थी लेकिन अपीलान्ट ने उक्त निगरानी की अपील निम्न न्यायालय में की जो खारीज योग्य है।
- कि उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में उतरदाता संख्या 2 द्वारा इसी न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 52/2016 अनवान सोडी बनाम जुमा व अन्य अन्तर्गत धारा 88,91,92क,188,207,209,40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा का विचाराधीन है जिसमें हिस्से से अधिक बेचाण शून्य घोषित कर घोषणा की इस्तदुआं चाही गई है जिसमें उतरदाता को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

3. प्रकरण में न्यायालय हाजा के पत्रांक 421 दिनांक 31.07.2025 के तहत उक्त विवादित आराजी की तहसीलदार धोरीमना से वर्तमान मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार धोरीमना के पत्रांक भू.अ./2025/2152 दिनांक 21.08.2025 के तहत मौका जांच रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई। जिसमें वर्णित अनुसार —
   - ➢ कि बेचान नामान्तरकरण संख्या 987 दिनांक 26.12.2022 वाके ग्राम मांगता मुताबिक बेचान दस्तावेज सही दर्ज किया गया है।
   - ➢ कि नामान्तरकरण संख्या 987 दिनांक 26.12.2022 वाके ग्राम मांगता द्वारा उतरदाता संख्या 02 के भाई जुमा पुत्र सुमार का नाम पूर्ण रूप से विलोपित कर केवल अपीलार्थीगण संख्या 01 से 03 के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया । उतरदाता संख्या 02 सोढी पुत्री सुमार जो कि जुमा की सगी बहीन है एवं मौके पर खसरा संख्या 42 में कब्जा काश्त है। सुमार फौत होने पर एक मात्र उतराधिकारी जुमा के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया गया जबकि सोढी पुत्री सुमार भी विधिक उतराधिकारीणी है। अतः जुमा द्वारा सम्पूर्ण भूमि का स्वयं द्वारा बेचान किये जाने से सोढी का हिस्सा का भी बेचान कर दिया गया जो कि विधि विरूद्ध है। विधि विरूद्ध बेचान होने से उक्त बेचाणनामा का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना सही नहीं होने का लिखित कथन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना, बाड़मेर

- कि उक्त विवादित आराजी में अपीलान्टगण संख्या 1 से 3 का वर्तमान में मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं हैं।
- कि ग्राम मांगता के खसरा संख्या 42 रकबा 25.9403 है0 यानि 160—05 बीघा भूमि पर वर्तमान मौके पर जुमा पुत्र सुमार, सोढी पुत्री सुमार व वची पुत्री सुमार का कब्जा व काश्त पाया गया है। तीनों की अलग—अलग ढाणियां मौके पर बनी हुई है। एवं अलग—अलग काश्त कर रहे हैं। तीनों परिवारों का उक्त भूमि का मौके पर बंटवारा किया हुआ हैं।

4. तत्पश्चात उक्त अपील के संबंध में वकील अपीलार्थीगण एवं उतरदाता की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्टगण के अधिवक्ता ने अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया जबकि उतरदाता संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील के बिन्दुओं को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपील खारीज करने का निवेदन किया।

5. हमनें अपीलार्थी एंव उतरदाता अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का विधि के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज के आधार पर अपीलान्टगण द्वारा बैचाण दस्तावेज क्रमांक 201603110100892 दिनांक 03.08.2016 को क्रय की गई तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 987 दिनांक 26.12.2026 को दायर करने पर ग्राम पंचायत मांगता द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण की पुश्त पर अपीलान्टगण का कब्जा नहीं होने के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 987 दिनांक 05.01.2023 को खारीज कर दिया गया। उक्त के संबंध में तहसीलदार धोरीमना की जांच रिपोर्ट में भी अपीलान्टगण का वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने तथा उतरदाता व अन्य विधिक वारिसान का कब्जा काश्त व अलग—अलग ढाणियां बनी होने का लिखित कथन कर जुमा वल्द सुमार द्वारा अपने हिस्से से अधिक सम्पूर्ण रकबा अर्थात उतरदाता सोढी के हिस्से का भी बेचान किये जाने का उल्लेख किया गया जिसके संबंध में उतरदाता का घोषणा तथा बेचान शून्य घोषित करवाने का वाद 52/2016 अनवान सोढी बनाम जुमा इसी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

6. अतः हमारा यह विवेचन है कि नामान्तरकरण के संबंध में धारा 133 व 135 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नामान्तरकरण स्वीकृत करने वाले अधिकारी को कब्जे के संबंध में जांच करने का प्रावधान दिया गया है। चूंकी ग्राम पंचायत मांगता द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 05.01.2023 को नामान्तरकरण संख्या 987 को नामान्तरकरण की पुश्त पर कब्जा नहीं होने के आधार पर खारीज किया जा चुका है तथा उक्त कब्जे के संबंध में ग्राम पंचायत मांगता की रिपोर्ट का तहसीलदार धोरीमना द्वारा पुष्टि की गई है तथा उक्त विवादित आराजी पर अपीलान्टगण का कोई कब्जा काश्त नहीं होने तथा उतरदाता व अन्य के विधिक वारिसान द्वारा वहमी बंटवारा कर अलग—अलग ढाणियां बनाकर कब्जा काश्त करने तथा उक्त विवादित आराजी जो कि जुम्मा द्वारा सम्पूर्ण आराजी का बेचान अपीलार्थीगण को किया गया है जो कि विधि विरूद्व है जिसके संबंध में इसी न्यायालय में घोषणा का वाद विचाराधीन है। वर्तमान में उक्त आराजी जुमा वगैरा सुमार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:40 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाडमेर

वीराराम बनाम ग्राम पंचायत मांगता
2023 / 21
निर्णय दिनांकः—09.09.2025

आदेश है कि

अपीलार्थीगण की अपील बाबत् नामांतकरण संख्या 987 दिनांक 05.01.2023 द्वारा ग्राम पंचायत मांगता तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर अस्वीकार कर खारीज की जाती है। चुंकि उतरदातागण का वाद बाबत् घोषणा व हिस्से से अधिक बेचान शून्य करने का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है इस कारण उक्त राजस्व अपील को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। राजस्व इन्द्राज में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होने के कारण राजस्व इन्द्राज यथावत रखने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते है।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

9/9/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:40 IST
Reason: SelfAttested